E Content for the student of Patliputra University

Subject - Political science

Class B.A.(Hons) Part II Paper III

Topic - Speaker of The Lok Sabha

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Professor, Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama.

लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम एवं निम्न सदन है। संसदीय परम्परा में यह लोकप्रिय सदन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता करती है तथा इसी सदन के बहुमत से कोई सरकार बनती है। बहुमत समाप्त होते ही सरकार अपदस्थ हो जाती है। इस प्रकार लोकसभा भारतीय राजनीति की मुख्य रंगमंच है, जहाँ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य विचार विमर्श करते हैं, बहसें होती हैं कभी कभी हंगामें का दृश्य भी देखने को मिलता है। सदस्यों का बहिर्गमन, वेल में आ जाना, समीकरणों के बनने एवं बिगड़ने का खेल चलता रहता है। अंत में बहुमत या सर्वमत से विधेयक पास होता है या गिर जाता है। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करती रही है।

लोकसभा जैसी संस्था की कार्यवाही का संचालन सदन के अध्यक्ष (Speaker) करते हैं। इनका चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। संख्या बल सत्ता पक्ष के समर्थन में होने के कारण प्रायः अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है। एक उपाध्यक्ष

का भी चुनाव किया जाता है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन करता है। सदन के सदस्यों की एक टीम घोषित कर दी जाती है जो आवश्यकता पड़ने पर सदन की कार्यवाही संचालित किया करते हैं। इसमें विभिन्न दलों के भी सदस्य होते हैं।

आम चुनाव के बाद सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। वे सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद लोकसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। सदन में सदन के नेता (प्रधानमंत्री) और विपक्ष के नेता दोनों अध्यक्ष को सम्मान के साथ उनके आसन तक पहुंचाते हैं। यह अध्यक्ष को सम्मान देने की परम्परा है।

अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार -

अध्यक्ष संसदीय शासन व्यवस्था एवं लोकतंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। उसके कार्यों का वर्णन निम्न रूपेण किया जा सकता है।

(1) लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता - लोकसभा की कार्यवाही की वह अध्यक्षता करता है। इसरूप में सदन के सभी सदस्य अध्यक्ष को ही इंगित करते हुए अपना भाषण देते हैं। किसी भी सदस्य को दूसरे सदस्य को इंगित करते हुए विचार रखने का प्रावधान नहीं है।

(2) लोकसभा की कार्यवाही का संचालन - अध्यक्ष प्रश्न काल, शून्य काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के संदर्भ में सदस्यों को बोलने की अनुमति, समय का निर्धारण, मतदान की व्यवस्था, परिणाम की घोषणा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वक्ताओं की सूची के निर्माण वह दलों के सदन की नेताओं के साथ बैठकर निर्णय लेता है।

3. लोकसभा में अनुशासन बनाये रखना – लोकसभा की बैठकों में अनुशासन बनाये रखने की भी जिम्मेवारी अध्यक्ष की ही होती है। इस हेतु उसे कई शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह किसी सदस्य को नाम लेकर बोलने से रोक सकता है, वह जब खड़ा होता है तो सदस्यों को बैठ जाना होता है। वह सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। वह हंगामा करने वाले सदस्य को मार्शल द्वारा सदन से बाहर कर सकता है। वह सदस्य की सदस्यता से सस्पेंड कर सकता है। इतनी शक्ति के बावजूद देखा जाता है कि लोकसभा की कार्यवाही प्रायः हंगामेदार होती है। सार्थक बहसें बहुत कम हो पाती हैं।

4. दलबदल के संबंध में अधिकार – भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल कानून के अन्तर्गत निर्णय देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को ही है।

5. विदेश जाने वाले संसदीय समितियों का नेतृत्व – विदेश जाने वाले संसदीय समितियों का नेतृत्व लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। देश में भी प्रायः विधायिका के अध्यक्षों की बैठकें होती हैं, उसकी भी अध्यक्षता वही करता है।

6. लोकसभा की भौतिक संरचना की देखभाल – लोकसभा में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी, पुस्तकालय, भवन आदि की देखभाल पर नियंत्रण अध्यक्ष का ही होता है।

7. लोकसभा बुलेटिन का प्रकाशन – लोकसभा द्वारा सदन की कार्यवाही, या अन्य प्रपत्रों का प्रकाशन टी०वी० चैनल पर प्रसारण आदि लोकसभा अध्यक्ष की ही देखरेख में सम्पन्न होता है।

इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को काफी दायित्व प्रदान किया गया है। वह संसदीय परम्परा का वाहक, लोकतंत्र का संचालक, अनुशासन का संरक्षक तथा बहुमत को नियंत्रित रखने वाला है। ब्रिटेन में इसकी निष्पक्षता बनी है इसलिए "once a speaker always a speaker" की परम्परा चलाई है। उसके निर्वाचन क्षेत्र को काल्पनिक क्षेत्र मान लिया गया है। इसका विरोध नहीं किया जाता है। फलस्वरूप वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जबतक वह बना रहना चाहे। इसके उसकी निष्पक्षता पर संदेह प्रकट नहीं किया जाता है।

भारत में अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वे निष्पक्षता बनाये रखेंगे। किन्तु दलीय संबद्धता के कारण ऐसा हो नहीं पाता है। इस संदर्भ में सोमनाथ चटर्जी का नाम लेना उपयुक्त होगा, जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए दलीय निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया। इसके उन्हें दलीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा।

अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण है कि लोकसभा विघटित हो जाने के बाद भी नये लोकसभा के विधिवत् गठन तक वह अध्यक्ष बना रहता है। अध्यक्ष को speaker कहा जाता है किन्तु वह सबसे कम बोलता है। सच कहें तो उसकी निष्पक्षता, उसके प्रति सदस्यों का विश्वास और संसदीय लोकतंत्र में उसकी निष्पक्षता ही उसकी आवाज है। अध्यक्ष लोकसभा रूपी खेल के मैदान, जहाँ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के रूप में खिलाड़ी खेल रहे हैं, अध्यक्ष विशेषज्ञ (रेफरी) की भूमिका में है। उसकी निष्पक्षता ही उसका सम्मान एवं शक्ति का स्रोत है।